न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 69/2019

रामू पुत्र छोट्या जाति माली निवासीः मालियो का मौहल्ला, ग्राम नायला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. गोपी पुत्र छोट्या जाति माली निवासीः मालियों का मौहल्ला, ग्राम नायला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——वादी/रेस्पोडेन्ट

2. सत्यनारायण पुत्र बुद्धा
3. ओमप्रकाश पुत्र बुद्धा
4. हरिनारायण पुत्र बुद्धा
5. केसर पुत्र स्व. रामचन्द्रा
6. तेजराम पुत्र स्व. रामचन्द्रा
7. शिवनारायण पुत्र स्व. रामचन्द्रा
8. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रामचन्द्रा
9. रूपनारायण पुत्र स्व. रामचन्द्रा
10. चम्पा देवी पत्नि स्व. रामचन्द्रा
    निवासीः मालियो का मौहल्ला, ग्राम नायला तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.01.2019 उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर वाद संख्या 52/2018 उनवानी गोपी बनाम रामू व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

उपस्थितः

श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांकः 02.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के वाद संख्या 52/2018 बउनवानी गोपी बनाम रामू व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 07.01.2019 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की शामलाती कब्जे व खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 87 व खाता संख्या पुराना 94 के खसरा नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 कुल किता 6 कुल रकबा 2.35 हैक्टेयर ग्राम कुंथाडाकलां, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें हिस्सा 1/6 वादी व हिस्सा 1/6 प्रतिवादी संख्या 01 का एवं हिस्सा 1/6 प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 04 का एवं हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 05 लगायत 10 के नाम से हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की उपरोक्त सामलाती खातेदारी की भूमि का इन्द्राज उपरोक्त हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 के अनुसार नाम दर्ज है। वादग्रस्त आराजीयात शामलाती एवं अविभाजित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 काबिज काश्त चले आ रहे है एवं अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर लाभान्वित हो रहे है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाये ही फ्रन्ट सडक पर वादी के हिस्से की भूमि को अपनी बताकर विक्रय करने पर आमादा है एवं वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते है। कुछ समय पूर्व प्रतिवादीगण कुछ व्यक्तियों के साथ आये एवं वादी के हिस्से की फ्रन्ट की भूमि विक्रय हेतु दिखाने लगे जिस पर वादी ने नाराजगी जाहिर की तो उस समय तो वह मौके से चले गये किन्तु धमकी दे गये कि हम कुछ समय में ही आराजीयात को विक्रय कर देगे एवं तुम्हे यहां से बेदखल कर देगे। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 87 व खाता संख्या पुराना 94 के खसरा नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16 कुल किता 6 कुल रकबा 2.35 हैक्टेयर ग्राम कुंथाडाकलां, तहसील बस्सी, जिला जयपुर का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सभी खातेदारों के कब्जे एवं रास्ते की सुविधाओं को देखते हुये एवं सभी खातेदारान को अपने हिस्से अनुसार मुख्य सडक फ्रन्ट पर भूमि दिलवाते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य तकासमा किया जावे तथा पर्चा खातेदारी व लगान पृथक–पृथक किया जावे तथा खसरा नंबर 14 गै.मु. कुंआ है जिसमें वादी को हिस्से अनुसार पानी ले जाने व सिंचाई करने एवं उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत विभाजन करवाये बिना विशिष्ट भू भाग का बेचान नहीं करे, ना ही अवैध रूप से हरे वृक्षों की कटाई करे, ना ही वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करे, न ही किसी अन्य से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुनकर बाद बहस मनन अपने निर्णय दिनांक 07.01.2019 के द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बस्सी को आदेशित किया कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सभी खातेदारों को कब्जे व रास्ते की सुविधाओं को देखते हुये कुरैजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुंत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का उसके सहकाश्तकारों के मध्य काफी समय पूर्व से ही मनबट के आधार पर बंटवारा हो रखा है एवं वर्तमान में समस्त पक्षकारान मनबट बंटवारे के अनुसार ही काबिज काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर ना तो तनकीयात कायम की गई एवं ना ही साक्ष्य सबूत ग्रहण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पर कोई स्वीकारोक्ति नहीं दी थी बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के हितों की अनदेखी करते हुये एवं मौके के विपरीत प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित किये जाने में महान कानूनी त्रुटि कारित की है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.01.2019 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 07.01.2019 विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सभी खातेदारों को कब्जे व रास्ते की सुविधाओं को देखते हुये तकासमा किये जाने के आदेश पारित किये है। वाद में अभी कुरैजात आना बाकी है। प्रकरण के इस स्तर पर अपीलार्थी की यह आपत्ति विचारणीय नहीं है। अपीलार्थी ने मात्र प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.01.2019 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि थी जिसका विधिवत विभाजन होना शेष था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 की ओर से एक ही अधिवक्ता उपस्थित हुये जिन्होने प्रतिवादी की ओर से जवाबादावा प्रस्तुत किया। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि जवाबदावा में दावे के तथ्यों की स्वीकारोक्ति नहीं की गई है बल्कि दावे में वर्णित तथ्यों का खंडन किया गया है। अपीलान्ट अनुसार जवाबदावा में वादग्रस्त भूमि का पूर्व में मनबट से बंटवारा होने के तथ्य, मौके पर सभी सहकाश्तकार अपने हिस्से पर काबिज है अपने पुख्ता गृह व पशुगृह बना रखे है, के तथ्य वर्णित होना बताया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार बस्सी को आदेशित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सभी खातेदारों को कब्जे व रास्ते की सुविधाओं को देखते हुये कुरैजात तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त निर्णय डिक्री में प्रतिवादीगण के जवाबदावा में वर्णित कथन कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा चाहने का अनुतोष भी पूर्ण हो रहा है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की गई है जिसमें पक्षकारान के हिस्से मात्र तय किये जाते है। इस कारण यदि अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण को किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह कुरैजात रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के नियमानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर सभी खातेदारों को कब्जे व रास्ते की सुविधाओं को देखते हुये पक्षकारान के मध्य तकासमा किये जाने का उचित निर्णय पारित किया गया है जिसमे मेरे द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर का प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर